



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक ५०० / 33 सी

दिनांक 28 / 02 / 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

विषय :- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोली होते हुये भैरवाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

सन्दर्भ :- ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 24.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 22 दिसम्बर 2015 को ऑन लाईन कमियों से इस खण्ड को प्राप्त हुई है जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency against E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	The authority letter to file the application uploaded is in favour of different name whereas the application is filed by some other person (Online at para-A-3 (xvii) in part-I)	एथोरिटी लैटर तथा एप्लीकेन्ट डीटेल सही कर दी गई है।
2	Name of village Takoli not mentioned at para B2.3 in part I in village wise breakup.	विलेज वाईज ब्रेकअप में टकोली ग्राम को जोड़ दिया गया है।
3	Area for muck disposal is not mentioned at para B 2.4 in part I in component wise brakup.	मलवा निस्तारण में ली जाने वाली भूमि मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व की ही रहती है जिस कारण कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेक अप में मलवा निस्तारण की भूमि का नहीं जोड़ा गया है।
4	Details of employment likely to be generated is sems incorrect at para-E part-I online.	इम्प्लोयमेन्ट डीटेल सही कर दी गई है।
5	In FRA certificate uploaded at para K in part I no date is mentioned in DLC proceedings and DM certificate SDLC certificate and proceedings are also not found uploaded.	एफ0आर0ए0 डीटेल में उपखण्डीय स्तरी समिति तथा ग्रामीणों की सहमति को अपलोड कर दिया गया है।
6	Legal status of forest land proposed for diversion is mentioned as Revenue forest at Sr. no 2 as well as in working plan prescription given at SI no 5 of part-II which may be clarified/corrected.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
7	At para 6 in part-II mentioned that area is less vulnerable state Govt may provide comment in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
8	District profile is not filled correctly in para 14 of Part-II	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
9	May provide Original hard copy of part IV & V	नोडल अधिकारी तथा शासन से सम्बन्धित।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता 28/2/18
अ0ख0, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर

(85)

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**


**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)
Act (FRA) 2006.**

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District.
Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Ant. Jyoti Nigam
Khairul I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant
claiming rights in *Devprayag* Block area measuring *1.746* Hectares for the
construction of *Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor Road* in Tehsil
Devprayag of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly
processed and recommend by the Sub Division Level Committee of *Devprayag* Sub
Division where discussed to consider the same for admission by the District Level
Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims
were found to have been made and hence District Level Committee recommended
the above case for diversion for land for the said purpose.

Place:- Tehri

Date- 18/12/2015


(ज्योति नीरज खैरवाल)
District Collector cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

FORM - I*(For linear Projects)*

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri garhwal

No. 927 / ~~XXV~~ - 98(2015-16) Dated 18 / ~~XII~~ / 2015**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.746 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Kirtinagar, Uttarakhand** for **Construction of Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor Road** in **Tehri** District falls within jurisdiction of **Capoli, Takoli, Chamogi & Bhainswadi** Village(s) in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 1.746 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

(प्रियंका नरेश खेरवाल)
District Collector
Tehri Garhwal

It is further certified that-

Minutes of meeting of *Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi* Motor Road (4 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.746 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
विहरी गढ़वाल
39 आगणी - फलेटी बल
विकास खण्ड - देहली
विहरी गढ़वाल, उत्तरांचल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला विहरी गढ़वाल अधिकारी
विहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
विहरी वन प्रभाग, विहरी गढ़वाल
प्रभागीय वनाधिकारी
विहरी वन प्रभाग
नई विहरी
(ज्योति नीरज खैरवाल)
जिला अधिकारी
विहरी गढ़वाल

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद सिंदी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपेला से टकोली - चमोजी होते हुए भैंसाड़ी तक मोरल मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)
लम्बाई 4.00 किमी,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर
उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत चपेला से टकोली - चमोजी होते हुए भैंसाड़ी तक मोरल मार्ग निर्माण (..... हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.746 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.746 हे0 वन भूमि) का लोग निगम कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 16/09/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- श्री वी.के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- श्री विमोद कुमार उर्फ मधु	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4- श्री दिलवर सिंह	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चपेला से टकोली - चमोजी होते हुए भैंसाड़ी तक मोरल मार्ग परियोजना हेतु 1.746 हे0 वन भूमि लोग निगम कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

- 2 -

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राजा चौरा, उपवन/प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत चपोली सेटकोली बनेगी होते हुए भैंसाड़ी तक मोटा माफ परियोजना के निर्माण हेतु 1.746 हे० वन भूमि का लो० निगम कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- वेपथारा
जनपद रिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- वेपथारा
जनपद रिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र खैरपुरा के
अन्तर्गत चपोली से टकोली - चमोली होते हुए भैरवाड़ी
तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) ।
लम्बाई 4.00 कि०मी० ।

दिनांक 16/09/2015 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	दीपेन्द्र सिंह नेमी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	वी.के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी सनीचौरी उप वन प्रभाग
3	विनोद कुमार उर्फ 10	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
4	दिलबर सिंह	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	दिलबर सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत - चपोली वि० ख० देवप्रयाग, (टि० ग०)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद दिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से तकौली - चमोली होते हुये भैस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 4.00 किमी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चपोली
तहसील देवप्रयाग, जिला दिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद दिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से तकौली - चमोली होते हुये भैस्वाड़ी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, 1.746 हे० सिविल सोयम भूमि, — हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.746 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० कीर्तिनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चपोली द्वारा दिनांक 19/08/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चपोली, चमोली एवं भैस्वाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

Chohan
19 Aug 2015

बिरेन्द्र चौहान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चपोली
विकास खण्ड देवप्रयाग



नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.4

दिनांक 19/06/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत चपोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वीरेंद्र सिंह उभर	वीरेंद्र सिंह
2	ओह छिह कल	ओह छिह कल
3	रामलाल (दूरमा छिह पका)	रामलाल
4	पद्म लाल	पद्म
5	विजेन्द्र लाल	विजेन्द्र
6	राम लाल	राम लाल
7	यशपाल सिंह बिहल	यशपाल
8	वपन सिंह महर	वपन सिंह
9	रतन सिंह खाना	रतन सिंह
10	गज सिंह	गज सिंह
11	हरि सिंह	हरि सिंह
12	विनोद सिंह	विनोद सिंह
13	गालवी मिश्री	गालवी मिश्री
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		



परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत
-चपोली से टकोली-चमोगी होते हुए भैंरवाड़ी तक मो०
मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 4.00 कि०मी०;

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नामनन्दोली (तोड़ टकोली)
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुए भैंरवाड़ी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (..... हे० आरक्षित वन भूमि, 1:746 हे० सिविल सोयम भूमि, हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1:746 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० कीर्तिनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नन्दोली (तोड़ टकोली) द्वारा दिनांक 19/08/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नन्दोली (तोड़ टकोली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
कास खण्ड देवप्रयाग (टि०म०)

ह०/-
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान विकास खण्ड देवप्रयाग

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 19/08/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नन्दोली (लोह टोली)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
②	रुक्म सिंह 2087	रुक्म सिंह
③	मेहरा सिंह	मेहरा सिंह
④	मकान सिंह	मकान सिंह
⑤	राजेंद्र सिंह	राजेंद्र सिंह
⑥	गोविंद बाबू	गोविंद बाबू
⑦	महावन्त सिंह गोविंददास	महावन्त सिंह
⑧	गोपी सिंह	गोपी सिंह
⑨	गोविंद सिंह	गोपी सिंह
⑩	महावन्त सिंह	महावन्त सिंह
⑪	उमेश सिंह	उमेश सिंह
⑫	कल्याण सिंह 1017	कल्याण सिंह
⑬	विजय सिंह	विजय सिंह
⑭	धन सिंह	धन सिंह
⑮	राम सिंह	राम सिंह
⑯	नागचंद्र सिंह	नागचंद्र सिंह
⑰	दलेव सिंह	दलेव सिंह

ह0/-
ग्राम प्रधान

कल्याण सिंह
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत नन्दोली
विकास खण्ड देवप्रयाग

अनापत्त पत्र

सेवार्थ

श्रीमान आधिशाली आश्रित
लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर,
जनपद सिद्धी गढ़वाल उत्तराखण्ड,

विषय:- चपौली से टकौली चमोली हॉट ड्रु में स्वाडी तक मोटर-
मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रार्थना निवेदन है कि चपौली से टकौली चमोली हॉट ड्रु
में स्वाडी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु ग्राम सभा
नन्दौली (लोक टकौली) द्वारा कोई भी आपत्त नहीं है।

कल्याण सिंह

प्रधान (रु)

ग्राम पंचायत नन्दौली

विकास खण्ड देवप्रयाग

① कल्याण सिंह - अप

② रतना सिंह -

पानसिंह

③ भैरा सिंह -

भैरा सिंह

④ मन्ना सिंह -

मन्ना/गुज्जरू

⑤ राजेन्द्र सिंह -

राजेन्द्र सिंह

⑥ गोविन्द लाल -

गोविन्द लाल

⑦ भगवान सिंह -

भगवान सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी


ग्राम पंचायत

कास खण्ड देवप्रयाग (टि०ग०)

प्रारूप-1

Sri. Padmendra Singh Bartwal son of **Sri B.S. Bartwal** is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Construction of **Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor road** of the T.D. P.W.D. Srinagar H.Q. Kirtinagar on the Government of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the **Er. J.S. Chauhan** Executive Engineer Temporary Division P.W.D. Kirtinagar

Signature



(Er. J.S. Chauhan)

Executive Engineer

Ty. Division P.W.D. Srinagar

H.Q. Kirtinagar